न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 09/2017

अपीलार्थी

1. श्री मांगीलाल पुत्र स्व. श्री नथाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री वीसाराम पुत्र स्व. श्री नथाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 06.10.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार आबूरोड द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 1524 दिनांक 15.05.2018 के विरूद्ध दिनांक 02.04.2019 को प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया, रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा देलदर पटवार हल्का देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही में खसरा संख्या 732 रकबा 05 बिस्वा किस्म बारानी–1 की आराजी श्री ओटाराम पुत्र कानारामजी मेघवंशी निवासी देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही की खातेदारी भूमि थी, जिसे अपीलांट व अपीलांट के चाचा श्री फताजी पुत्र श्री नोपाजी ने मिलकर खरीदी, लेकिन उक्त भूमि का विक्रय–विलेख अपीलांट की चाचा श्री फताजी के नाम पर ही निष्पादित करवाया गया था, जो प्रारम्भ से लेकर अभी तक अपीलांट के कब्जे में है। यह है कि उक्त विक्रय विलेख निष्पादित होने के बाद अपीलांट और उसके चाचा श्री फताजी ने खसरा संख्या 732 रकबा 05 बिस्वा भूमि को आपस में आधी–आधी बांटकर अपने–अपने हिस्से पर निर्माण भी करवाया है, जिस अनुसार अपीलांट के हिस्से में आई भूमि पर अपीलांट द्वारा कमरे व पशुओं का बाडा व शेड भी बनाया गया है। यह है कि उक्त भूमि पर भविष्य में कोई विवाद न हो इस कारण अपीलांट के चाचा श्री फताजी

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Gaur
Date: 2021.10.15 12:16:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ने दिनांक 14.12.2015 को उक्त खसरा संख्या 732 रकबा 05 बिस्वा के 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलांट के हक में निष्पादित कर दी जिसका पंजीयन दिनांक 16.12.2015 को उपपंजीयन कार्यालय आबूरोड में किया गया है। यह है कि दिनांक 15.04.2018 को अपीलांट के चाचा श्री फतारामजी की मृत्यु हो जाने के लगभग तीन माह बाद जब अपीलांट को जानकारी हुई कि ग्राम पंचायत ने श्री फताराम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है तो अपीलांट ने ग्राम पंचायत से श्री फताराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल मांगी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट को नकल नहीं दी गई, तब अपीलांट ने दिनांक 22.11.2018 को बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के ही तहसीलदार आबूरोड के समक्ष आवेदन पत्र मय वसीयतनामा व रजिस्ट्री की नकल के म्युटेशन हेतु दिया। यह है कि अपीलांट के आवेदन पर तहसीलदार आबूरोड द्वारा अपीलांट के आवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया तो अपीलांट ने उक्त आवेदन पर की गई कार्यवाही की नकल मांगी तब अपीलांट को ज्ञात हुआ कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा उक्त खसरा संख्या 732 का नामान्तरकरण दिनांक 15.05.2018 को श्री फताराम के वारिसान श्री मोहनलाल, श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री फताराम एवं धनी पुत्र श्री फताराम के नाम न्याय आपके द्वारा केम्प में स्वीकृत कर दिया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए उक्त नामान्तकरण को स्वीकृत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 1524 दिनांक 15.05.2018 को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। यह है कि खातेदार श्री फताराम पुत्र श्री नोपाजी की फौत हो जाने से उनके उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मै निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा देलदर पटवार हल्का देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही में खसरा संख्या 732 रकबा 05 बिस्वा किस्म बारानी–1 की आराजी श्री ओटाराम पुत्र कानारामजी मेघवंशी निवासी देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के नाम आई हुई थी एवं उक्त भूमि का विक्रय–विलेख श्री ओटाराम द्वारा श्री फताराम पुत्र श्री नोपा[illegible] मेघवाल निवासी देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही [illegible] अपीलांट के हक में श्री फताराम पुत्र श्री नोपाजी [illegible]एक वसीयत ना[illegible] उपपंजीयन अधिकारी आबूरोड द्वारा पंजीकृत पंजीयन संख्या 2015000065 दिनांक 16.12.2015 को अपीलांटगण के पक्ष में तहरीर कर खसरा संख्या 732 रकबा 05 बि[illegible] का 1/2 हिस्सा अपीलांट के पक्ष में वसीयत कर दी थी एवं श्री फताराम पुत्र श्री नोपाजी का दिनांक 15.04.2018 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

स्वर्गवास होने से अपीलांटगण वसीयतनामा के आधार पर खसरा संख्या 732 रकबा 05 बिस्वा के 1/2 आधा के स्वामी बन गए। यह है कि मौजा ग्राम देलदर पटवार हल्का देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही में स्थित खसरा नम्बर 732 रकबा 05 बिस्वा किस्म बारानी–1 श्री फताराम पुत्र श्री नोपाजी के नाम होने से एवं श्री फताजी की मृत्यु उपरान्त उनके उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तरकरण संख्या 1524 दिनांक 15.05.2018 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्री फताराम पुत्र श्री नोपाजी जाति मेघवाल निवासी देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही ने अपने रजिस्टर्ड वसीयतनामा में यह उल्लेख किया है कि खसरा संख्या 732 रकबा 05 बिस्वा के 1/2 हिस्सा पर, उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट ही उसका मालिक एवं वारिसदार रहेगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विवादित सम्पत्ति श्री फताराम पुत्र श्री नोपाजी की पुश्तैनी सम्पत्ति न होकर श्री ओटाराम पुत्र श्री कानाराम से जरिए विक्रय विलेख से क्रय की है, जिसके आधे हिस्से का श्री फताराम पुत्र श्री नोपाजी ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपीलांटगण के हक में तहरीर कर दिया। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया जाना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 1524 दिनांक 15.05.2018 मौजा देलदर पटवार हल्का देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः तहसीलदार, आबूरोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर रेकर्ड एवं तथ्यों की जांच कर विधि में प्रदत्त प्रावधानों के तहत विधि सम्मत नये सिरे से नामान्तरकरण आदेश पारित करें ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:16:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner